Remunerative prices for farm produce

494. DR. ABRAR AHMED KHAN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state what steps are being taken by Government to provide remunerative prices to the farmers of their produce and what is the extent of increase being made by Government in the minimum price for procurement of various items of their agricultural produce ?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI DEVI LAL) : The Government announces procurement/minimum support prices for major agricultural commodities each season and also organises price support operations through public and cooperative agencies to ensure that the farmers receive the prices fixed by the Government. For other commodities like potatoes, onions, ginger, etc. market intervention operations are carried out on specific requests from the concerned State Governments.

An Expert Committee has been set up to examine the methodology for estimation of cost of production of crops to review the terms of trade between the agricultural and non-agricultural sectors and to recommend measures to improve the remunerativeness of crop production.

The minimum support price for copra for the 1990 season has been fixed at Rs. 1600 per quintal, marking an increase of Rs. 100 per quintal over the price of Rs. 1500 per quintal for 1989.

The minimum support price for Jute for the 1990-91 season is under consideration. The recommendations of the Commission for Agricultural Costs & Prices for kharif crops of 1990-91 season are waited.

वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम

495. **डा० अबरार अहमद खान :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा, उन का अतिक्रमण रोकने और उन पर नाजायज कब्जा न होने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ;

(ख) क्या सरकार वक्फ संपत्तियों से संबंधित कोई नया विधेयक लाने पर विचार कर रही है; यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) क्या सरकार कब्रिस्तानों की हदबन्दी के लिए स्थानीय नगर निगमों, नगर-पालिकाओं तथा पंचायतों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करने की दृष्टि से कोई कदम उठा रही है या कोई कानून बना रही है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इसे कब तक किए जाने का विचार है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) वक्फ अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अन्तर्गत राज्यों में सभी वक्फों का सामान्य अधीक्षण का अधिकार संबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य वक्फ बोर्ड के पास है। यह सुनिश्चित करना प्रत्येक वक्फ बोर्ड का कर्तव्य है कि उनके अधीक्षण आधीन वक्फों का अच्छी तरह रखरखाव, नियंत्रण और प्रशासन किया जा रहा है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार की भूमिका नीति के प्रश्न पर वक्फ बोर्डों को निदेश जारी करना है। केन्द्रीय सरकार ने सभी वक्फ बोर्डों (वक्फ अधिनियम, 1984 के अधीन गठित) को पहले ही निदेश जारी किये है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में वक्फ सम्पत्तियों पर निगरानी रखे और आगे अतिक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार